उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 1760 /ग्यारह -9-(107)/07-30प्र0अधि0-30-2007-आदेश- (28)- 2008

लखनऊ:: दिनांक :: सितम्बर 24,2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एवं समय समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-3122/ ग्यारह-9 (81)/91-30प्र0अध्या0-21/99-नियम-1999 दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1999 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 कही जायेगी ।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषायें

2. (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 से है ।

(ख) ''प्रारुप'' का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रारुप से है ।

(ग) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है ।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है ।

व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण

3. (1) ऐसा कोई व्यापारी, जो अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत हो, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन नहीं करेगा तथापि उससे धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रारुप-क में सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी ।

(2) ऐसा कोई व्यापारी, जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नही है और अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऐसे दिनांक, जिस दिनांक को ऐसा व्यापारी दायी हो गया हो, से तीस दिन की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के अधीन विहित प्रारुप-

यू0पी0 वैट-सात में एक सौ रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस जमा करने के साक्ष्य के साथ आवेदन करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए विहित समय के भीतर आवेदन करने में विफल हो, अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपनियम में ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रतिमाह या उसके भाग के लिए एक सौ रुपया प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन कर सकता है।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि आवेदन पत्र व्यवस्थित रूप में है, दी गयी सूचना सही और पूर्ण है और देय शुल्क या विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, जमा कर दिया गया है तो वह, जब तक प्रतिभूति की मांग करना आवश्यक न समझे, ऐसी जॉच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, व्यापारी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और उसे प्रारूप-ख में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दे सकेगा।

(4) यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ने प्रतिभूति की मॉग की हो, तो व्यापारी को तभी रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, यदि इस प्रकार मांग की गयी प्रतिभूति ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के संतोषानुसार प्रस्तुत की गयी हो।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को प्रदान करने, संशोधित करने तथा निरस्तीकरण करने या रजिस्ट्रीकरण आवेदन पत्र को अस्वीकार करने या प्रतिभूति की मांग करने के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 17 तथा धारा 19 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(6) किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण से किसी अवधि के लिए देय कर, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों का भुगतान करने के लिए ऐसे व्यापारी का दायित्व प्रभावित नहीं होगा चाहे ऐसे कर, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों का निर्धारण निरस्तीकरण के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो।

विवरणी को प्रस्तुत किया जाना और कर का निर्धारण

4. (1) प्रत्येक व्यापारी, जो अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, किसी कर अवधि के लिए अपनी विवरणी प्रारुप-ग में कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) विवरणी एवं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तथा कर निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम के अधीन सभी व्यापारियों पर लागू होंगे।

(3) कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर, कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में व्यापारी के माल का कुल मूल्य तथा धारा 5 के अधीन कर वापसी की धनराशि को अवधारित करेगा और संदेय कर तथा कर वापसी, यदि कोई हो, को अवधारित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यापारी के मामले में, जिसने किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान व्यापार बन्द कर दिया है, कर निर्धारक प्राधिकारी, कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के पूर्व कर निर्धारण का आदेश दे सकेगा और उस पर संदेय कर एवं कर वापसी को निर्धारित कर सकेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार

माल का कुल मूल्य एवं कर वापसी की धनराशि को अवधारित करने से पूर्व, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणी, यदि कोई हो, को अस्वीकार करने के लिए व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(4) यदि निर्धारित कर तथा व्यापारी द्वारा जमा की गयी कर की कुल धनराशि में अन्तर हो, तो उस अन्तर को कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार , यथास्थिति, वसूल या वापस किया जायेगा।

कर उद्ग्रहण की वापसी

5. (1) राज्य के भीतर सम्व्यवहार की दशा में अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) तथा (ङ) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा कर उद्ग्रहण की वापसी का दावा किया जाता है, तो उसे राज्य के क्रेता या पारेषिती व्यापारी से प्रारूप-घ में घोषणा का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा जिस अवधि से सम्व्यवहार सम्बन्धित हो, उस अवधि की समाप्ति के तीन माह के अन्दर उसकी मूल प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सम्बन्धित व्यापारी पर्याप्त कारणवश उपर्युक्त घोषणा के प्रमाण पत्र को उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका है तो वह ऐसे प्रमाण पत्र को ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो वार्षिक विवरणी को दाखिल करने के लिए विहित या अनुज्ञात समय के अपश्चात् हो, प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 56 के उपनियम (2) से उपनियम (16) तक के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) उपनियम (1) के अधीन विहित एकल प्रारुप से वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम रूपये पॉच लाख की आर्थिक सीमा तक सम्व्यवहार किया जायेगा, परन्तु यह आर्थिक सीमा निम्नलिखित प्रकार के व्यापारियों पर लागू नहीं होगी :-

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा स्थापित या उसके अधीन गठित निगम या उपक्रम या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक आवर्त रुपये 5 करोड़ या उससे अधिक है, या

(ख) ऐसा व्यापारी, जिसका वार्षिक आवर्त रुपये पच्चीस करोड़ या उससे अधिक है।

(4) अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के मामले में धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) तथा (ड.) के अधीन कर उदग्रहण की वापसी का दावा करने वाले व्यापारी के लिए, केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उपनियम (1), (5), (10), (11) तथा (11क) के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को दाखिल किये गये घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, कर वापसी के लिए पर्याप्त साक्ष्य माना जायेगा।

(5) कर उद्ग्रहण की वापसी के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 50 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

भुगतान करने की रीति

6. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 12, 13, 14, 15 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान करने की रीति हेतु लागू होंगे ।

विनिर्माता द्वारा कर की वसूली और जमा

7. अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशापित माल का उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी को विक्रय, आपूर्ति या अन्यथा भेजे जाने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तरदायी विनिर्माता, -

(क) माल के मूल्य पर देय कर की धनराशि को सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली करेगा और उसे अगले उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख को या उससें पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा : प्रतिबन्ध यह है कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि के लिए 20 मार्च तक इस प्रकार वसूले गये कर को उक्त माह की 25 तारीख तक जमा किया जायेगा ;

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी को अगले उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व, प्रपत्र-ङ में ऐसे आवर्त की मासिक विवरणी, जिसमें उसके अनुलग्नक में विस्तृत सूचना दी हो, कर के जमा करने के प्रमाण के लिए कोषागार चालान के साथ प्रस्तुत करेगा ;

(ग) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 44 के उपनियम (2) तथा (3) में विहित क्रमशः बिक्री बीजक (गैर-वैट माल या करमुक्त माल के सम्बन्ध में) या कर बीजक, यथा स्थिति, क्रेता व्यापारी या व्यक्ति को जारी करेगा जिसमें प्रवेश कर पृथक से दर्शाया जायेगा ;

(घ) विनिर्माता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के अन्तर्गत जारी यथास्थिति कर बीजक या बिक्री बीजक, इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान का पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा ।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव ।

प्रारुप-क

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 3 का उपनियम (1) देखें)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित

सूचना देने का प्रारुप

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,

---------- सर्किल।

मै ---------- (पूरा नाम) आत्मज ---------- (पूरा नाम) ---------- ---------- फर्म का स्वामी / भागीदार/ संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता/ लिमिटेड कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक / निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निदेशक / सोसायटी क्लब या एसोसियेशन का अध्यक्ष या सचिव / केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ---------- विभाग के कार्यालय का अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत अधिकारी / व्यापारी /प्राधिकारी या निकाय के मुख्य अधिकारी या मुख्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत अधिकारी, जो सर्वश्री ---------- के नाम और उपाधि (स्टाइल) से आपके अधिकार क्षेत्र में व्यापार करता हूँ, जिसके व्यापार का मुख्य स्थल ---------- (पूरा पता) में स्थित है, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूँ और मेरा टिन ---------- है जो दिनांक ---------- से विधिमान्य है।

अधिनियम के अधीन करयोग्य माल का विवरण -

प्रयोजन	वस्तुओं का नाम
1. उपभोग के प्रयोजन के लिए	----------
2. प्रयोग के प्रयोजन के लिए	----------
3. बिक्री के प्रयोजन के लिए	----------

सत्यापन

मै एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण सत्य और पूर्ण है।

स्थान ----------

दिनांक:----------

प्रार्थी के हस्ताक्षर ----------

व्यापार के सम्बन्ध में प्रास्थिति----------

स्थायी पता ----------

प्रारुप-ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 3 का उपनियम (3) देखें)

प्रतिपर्ण

रजिस्ट्रीकरण संख्या ----------

व्यापारी का नाम ----------

व्यापार का मुख्य स्थान ----------

शाखाएं

(1) ----------

(2) ----------

(3) ----------

प्रार्थना -पत्र देने का दिनांक ----------

प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का दिनांक ----------

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर ----------

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम ----------

सर्किल

प्रारुप-ख

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 3 का उपनियम (3) देखें)

व्यापारी वास्ते

धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या ----------

मैं ----------

सर्किल का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, एतद्द्वारा सर्वश्री ---------- को दिनांक ---------- से रजिस्ट्रीकृत करता हूँ।

यह यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण व्यापार के बन्द होने अथवा रजिस्ट्रीकरण निरस्त होने की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

व्यापार का मुख्य स्थान ----------में अवस्थित है और व्यापार सर्वश्री ---------- नाम तथा उपाधि से किया जाता है।

इसकी निम्नलिखित शाखाएं है :-

(1) ----------

(2) ----------

(3) ----------

दिनांक ---------- हस्ताक्षर ----------

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम ----------

मुहर सर्किल ----------

प्रारुप -ग

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

कर अवधि का विवरण -पत्र -मासिक / त्रैमासिक

[साफ अक्षरों में भरा जाय]

1.	कर निर्धारण वर्ष	-
2.	कर - अवधि के समापन का दिनांक	-
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-
4.	मण्डल / खण्ड का नाम	-
5.	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	-
6.	कर दाता की पहचान संख्या (टिन)	-

7- स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति एवं कर की गणना

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति तथा कर का विवरण				
		उत्तर प्रदेश के बाहर से	स्थानीय क्षेत्र के बाहर परन्तु उत्तर प्रदेश के अन्दर से		स्थानीय क्षेत्र के अन्दर से	
		धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत परिभाषित माल का मूल्य (रुपये में)	निर्माता से माल का मूल्य (रुपये में)	अन्य से धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत परिभाषित माल का मूल्य (रुपये में)	निर्माता से माल का मूल्य (रुपये में)	अन्य से धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत परिभाषित माल का मूल्य (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
योग :-						

स्थानीय क्षेत्र में प्राप्त माल का कुल मूल्य एवं उस पर कर का विवरण

माल का मूल्य (रुपये में)	कर की दर	कर की धनराशि	कर छूट की धनराशि यदि कोई हो,	निर्माता को दिया गया कर	कोषागार में जमा कर	शेष
8 (3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14 [10 -(11+12+13)]

8- माल के उपभोग, उपयोग ,बिक्री या अन्यथा निस्तारण का विवरण :-

(धनराशि रुपये में)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	व्यापारी द्वारा माल का उपभोग, उपयोग, बिक्री या अन्य प्रकार से निस्तारण				
		अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान विक्रय या निर्यात के दौरान विक्रय या विक्रय से भिन्न अन्यथा माध्यम से माल का अन्तरण	उत्तर प्रदेश के अन्दर परन्तु स्थानीय क्षेत्र के बाहर बिक्री	स्थानीय क्षेत्र के अन्दर बिक्री	उपयोग या उपभोग किये गये माल का मूल्य	धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (ड) में तथा धारा 5 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अन्यथा निस्तारित किये गये माल का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
योग :-						

9	जमा कर का विवरण

बैंक / शाखा का नाम	चालान संख्या	दिनांक	कर की धनराशि
योग	अंकों में		
योग	शब्दों में		

संलग्नक: (1) ट्रेजरी चालान

(2) क्रमांक-7 के स्तम्भ 3,4,5,6 और 7 में दिखायी गयी खरीद का विवरण अनुलग्नक-क में, स्तम्भवार पृथक-पृथक रुप से।

(3) क्रमांक- 8 के स्तम्भ 3,4,5,6 तथा 7 में दिखायी गयी बिक्री का विवरण अनुलग्नक-ख मे, स्तम्भवार पृथक-पृथक रुप से।

(4) क्रमांक- 7 के स्तम्भ 11 में कर छूट के दावे के प्रमाण का विवरण अनुलग्नक-ग में।

घोषणा

मै ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ----------

प्रास्थिति ---------- (अर्थात् स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि) एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ एवं सत्यापित करता / करती हूँ कि इस विवरण -पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़े मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जान बूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक ----------

स्थान ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

अनुलग्नक- क

(कर अवधि -------- वर्ष ---------- के लिए प्रारुप ग के क्रमांक- 7 के स्तम्भ -3 / 4 / 5 / 6 /7 के सापेक्ष खरीद के विवरण की अलग अलग सूची)

1-	क्रेता व्यापारी का नाम व पता															
2-	टिन															
3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-										
4-	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक			-			-	2	0							

क्र.सं.	खरीद का विवरण								
	विक्रेता का नाम एवं पता	टिन	बिल / विक्रय बीजक / कर बीजक / चालान संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक / कर बीजक में प्रदर्शित वैट की धनराशि	प्रवेश कर की धनराशि	प्रवेश कर छूट की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर :----------

पूरा नाम :- ----------

प्रास्थिति :- ----------

व्यापारी का नाम एवं पता :- ----------

अनुलग्नक- ख

(कर अवधि ..... वर्ष ..... के लिए प्रारुप ग के क्रमांक- 8 के स्तम्भ -3 / 4 / 5 / 6 /7 में फाइल की जाने वाली बिक्री के विवरण की अलग अलग सूची)

1-	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता																
2-	टिन																
3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-											
4-	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक			-			-	2	0								

	बिक्री का विवरण							
क्रेता का नाम एवं पता	टिन	बिल / विक्रय बीजक / कर बीजक / चालान संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	माल का विक्रय मूल्य (रुपये में	सम्बन्धित क्रय धन (रुपये में)	कर की वापसी यदि कोई हो (रुपये मे)
2	3	4	5	6	7	8	9

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर :----------

पूरा नाम :- ----------

प्रास्थिति :- ----------

व्यापारी का नाम एवं पता :- ----------

.....

अनुलग्नक- ग

(क्रमांक- 7 के स्तम्भ -11 में दावाकृत कर छूट का विवरण)

1-	क्रेता व्यापारी का नाम व पता															
2-	टिन															
3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-										
4-	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक			-			-	2	0							

5-

क्रम सं0	खरीद का विवरण								
	विक्रेता व्यापारी का नाम एवं पता	टिन	बिल / विक्रय बीजक / कर बीजक / चालान संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	विक्रय बीजक / कर बीजक में प्रदर्शित मूल्य संवर्धित कर की धनराशि	प्रवेश कर की अंतर्वलित धनराशि	दावाकृत कर छूट की धनराशि, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर :----------

पूरा नाम :- ----------

प्रास्थिति :- ----------

व्यापारी का नाम एवं पता :- ----------

.....

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

क्रम संख्या ----------

प्रतिपर्ण

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम और पता जिसको जारी किया गया ----------

6- अधिनियम या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकरण संख्या (टिन) ----------

तथा

प्रभावी होने का दिनांक ----------

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मै ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म इस अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका रजिस्ट्रीकरण संख्या ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है ।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ---------- (वस्तु का नाम) बिल / चालान / विक्रय बीजक / कर बीजक संख्या ----------दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------(विक्रेता व्यापारी का नाम व पता) से ख़रीदा / प्राप्त किया / मंगवाया है और इस माल पर -

*(क) मेरे द्वारा रुपये---------- कर, चालान संख्या---------- दिनांक ---------- द्वारा ----------(बैंक/ बैंक शाखा / कोषागार /उप कोषागार का नाम व पता) में जमा कर दिया गया है ।

या

*(ख) हमारी फर्म की कर देयता नहीं है क्योंकि इस माल की बिक्री सर्वश्री ---------- ---------- को की गयी है और उनसे घोषणा पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- प्राप्त कर लिया गया है ।

स्थान ---------- हस्ताक्षर ----------

दिनांक ---------- प्रास्थिति ----------

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

क्रम संख्या ----------

द्वितीय प्रति

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम और पता जिसको जारी किया गया ----------

6- अधिनियम या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या (टिन) ----------

तथा

प्रभावी होने का दिनांक ----------

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मै ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म इस अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकरण है और इसका रजिस्ट्रीकरण संख्या ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है ।

2- मै अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ---------- (वस्तु का नाम) बिल / चालान / विक्रय बीजक / कर बीजक संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------(विक्रेता व्यापारी का नाम व पता) से खरीदा / प्राप्त किया / मंगवाया है और इस माल पर -

*(क) मेरे द्वारा रुपये---------- कर, चालान संख्या---------- दिनांक ---------- द्वारा ----------(बैंक/ बैंक शाखा / कोषागार /उप कोषागार का नाम व पता) में जमा कर दिया गया है ।

या

*(ख) हमारी फर्म की कर देयता नहीं है क्योंकि इस माल की बिक्री सर्वश्री ---------- ---------- को की गयी है और उनसे घोषणा पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- प्राप्त कर लिया गया है ।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

क्रम संख्या ----------

मूल प्रति

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम और पता जिसको जारी किया गया ----------

6- अधिनियम या उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या (टिन) ----------

तथा

प्रभावी होने का दिनांक ----------

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मैं ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म इस अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका रजिस्ट्रीकरण संख्या ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ---------- (वस्तु का नाम) बिल / चालान / विक्रय बीजक / कर बीजक संख्या ----------दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------(विक्रेता व्यापारी का नाम व पता) से खरीदा / प्राप्त किया / मंगवाया है और इस माल पर -

*(क) मेरे द्वारा रुपये---------- कर, चालान संख्या---------- दिनांक ---------- द्वारा ----------(बैंक/ बैंक शाखा / कोषागार /उप कोषागार का नाम व पता) में जमा कर दिया गया है।

या

*(ख) हमारी फर्म की कर देयता नहीं है क्योंकि इस माल की बिक्री सर्वश्री ---------- ---------- को की गयी है और उनसे घोषणा पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- प्राप्त कर लिया गया है।

स्थान ---------- हस्ताक्षर ----------

दिनांक ---------- प्रास्थिति ----------

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रारुप-ङ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 7 खण्ड (ख) देखें)

विक्रय-धन की विवरणी जिस पर ---------- मास के लिये कर वसूल किया गया है ।

1- विनिर्माता का नाम ----------

2- पूरा पता ----------

3- विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और प्रास्थिति (अर्थात् स्वामी, भागीदार, निदेशक आदि) ----------

4- वस्तु का नाम जिस पर कर वसूल किया गया है ----------

5- माह के दौरान कुल आपूरित किये गये माल का मूल्य रुपये ----------

6- आपूरित किये गये माल का वह मूल्य जिस पर कर नहीं वसूला गया है । (कारण सहित) रुपये ----------

7- आपूरित किये गये माल का वह मूल्य जिस पर कर वसूला गया हो :- रुपये ----------

8- वसूले गये कर की धनराशि :- रुपये ----------

9- जमा कर की धनराशि :- रुपये ----------

चालान संख्या ----------

दिनांक ----------

बैंक / शाखा का नाम ----------

घोषणा

मैं ---------- के ज्ञात व्यवसाय के ---------- (हैसियत-स्वामी, भागीदार, निदेशक आदि) के रुप में अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ और सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दिया गया विवरण, अंक, अनुलग्नक सत्य और पूर्ण है एवं जान बूझकर कुछ भी छिपाया नहीं गया है या असत्य कहा गया है ।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

हैसियत ----------

अनुलग्नक

---------- माह के लिये विक्रय धन

क्रमांक	व्यापारी का नाम और पता	बिल /कर / विक्रय बीजक संख्या	दिनांक	माल का मूल्य (रुपये में)	वसूल किया गया कर	बैंक ड्राफ्ट संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
माल के मूल्य का कुल योग और वसूल किया गया कर						

संलग्नक :- 1- ट्रेजरी चालान

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------